बिहार सरकार

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

संख्या-15/जी1-03/08उ0शि0 17 पटना, दिनांक 12-जनवरी'2010

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित * (द्वारा वित्त विभाग)।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2009-10 में पटना विश्वविद्यालय को सेवा निवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु कुल 9,21,28,503 (नौ करोड़ इक्कीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ तीन) रूपये मात्र गैरयोजनान्तर्गत अतिरिक्त राशि की स्वीकृति।**

आदेश- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में गैरयोजनान्तर्गत पटना विश्वविद्यालय की माँग में शामिल सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को जो विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त तथा कार्यरत रहकर सेवा निवृत्त हो चुके हैं, को बकाया सेवा निवृत्ति लाभ के विभिन्न अनुमान्य मदों में भुगतान हेतु कुल **9,21,28,503/-** (नौ करोड़ इक्कीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ तीन) मात्र अतिरिक्त राशि निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की कृपा की है:-

(i) वर्त्तमान में स्वीकृत की जाने वाली राशि से जिन सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का बकाया भुगतान किया जाना है उनके सेवा निवृत्ति लाभ की अनुमान्यता का निर्धारण पटना विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 के उप-धारा- (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

(ii) दिनांक 01.01.1996 के बाद तथा दिनांक 19.04.2007 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 57(10) के आलोक में आयोग की सहमति प्राप्त है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 5859/96 में दिये गये न्याय निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति की प्रभावी तिथि का निर्धारण करते हुए उनके मूल वेतन की अनुमान्यता निर्धारित की गयी है।

(iii) पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन अनुमान्यता का सत्यापन मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग के द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। अत: सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवा निवृत्ति लाभ के भुगतान के पूर्व उनसे इस आशय की लिखित

बचनबद्धता प्राप्त कर ली जाय कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों के द्वारा किये जाने वाले वेतन सत्यापन के क्रम में अगर यह पाया गया कि उन्हें अनुमान्य राशि से अधिक भुगतान हुआ है, तो अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एक मुश्त या किस्तों में उनसे कर ली जायेगी।

(iv) सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित परिनियम में विभागीय पत्रांक 1267 दिनांक 17.11.2005 के आलोक में वर्ष 2005 में परिनियम में किये गये संशोधन को दृष्टिपथ में रखते हुए किसी भी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी को सेवा निवृत्ति लाभ स्वीकृत नहीं किया जाना है जिनको पूर्व से पेंशनादि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।

(v) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 35(3) के अन्तर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि एवं न्याय निर्णयों के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि से संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

(vi) पुनरीक्षित दर से पेंशन/उपादानादि की प्रभावी तिथि 01.01.1996 होगी परन्तु पुनरीक्षित दर से भुगतान 01.04.1997 से होगा।

(vii) अपुनरीक्षित वेतनमान में अंतरिम राहत की राशि का भुगतान शैक्षणिक कर्मियों को अनुमान्य नहीं किया गया है अतः पेंशन अनुमान्यता के निर्धारण में पूर्व में भुगतान की गयी राशि को सामंजित करते हुए पेंशनादि की राशि की गणना की जाएगी।

(viii) अनुमान्य सेवा निवृत्ति के भुगतान के समय राज्यादेश संख्या-12 दिनांक 18.12.2008 में अंकित शर्त्तों का पालन अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा राजकीय अंकेक्षकों के द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में बजट में उपबंधित राशि के अन्तर्गत है। अतः उपर्युक्त कुल स्वीकृत राशि की निकासी हेतु लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को आवंटित किया जाता है। साथ ही उक्त राशि की निकासी हेतु लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

(3) संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा भुगतान किये जाने के क्रम में प्रत्येक कर्मी का बकाया विपत्र तैयार करके विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त अंकेक्षक दल को सभी संगत कागजातों के साथ समर्पित किया जायेगा ताकि उनकी अनुमान्यता की जाँच राज्यादेश में अंकित शर्त्तों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।

(4) अंकेक्षण दल बकाया विपत्रों की जाँच (Pre-Audit की तरह) कंडिका-1 की उपकंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुरूप करेंगे। जिन विपत्रों के विषय में विश्वविद्यालय आवश्यक कागजात जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करायेंगे वैसे विपत्रों को विश्वविद्यालय को कमी की पूर्त्ति के लिए वापस कर दिया जायगा।

(5) इस आदेश के प्रावधानों से संबंधित विवादों के समाधान करने हेतु राज्य सरकार (मानव संसाधन विकास विभाग) के परामर्श की अनिवार्यता होगी तथा विभाग द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में ही अग्रत्तर कारवाई विश्वविद्यालय स्तर पर किया जा सकेगा।

(6) पटना विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा निवृत्ति लाभ में कर्णांकित राशि में परिवर्त्तन करते हुए राशि की विमुक्ति विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार न्यायादेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश भी दिया जा सकता है।

(7) भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत राशि का अंकेक्षण करें।

(8) उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2009-10 में गैरयोजनान्तर्गत बजट शीर्ष "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-माँग संख्या-21-0001- पटना विश्वविद्यालय विपत्र कोड- N2202031020001-विपत्र शीर्ष-3101 सहायक अनुदान" के अन्तर्गत होगा।

(9) वित्त विभाग के पत्रांक 7355 वि(2) दिनांक 05.10.2007 तथा महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के पत्रांक टी0एम0 11-877-907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में कुल राशि **9,21,28,503/-** (नौ करोड़ इक्कीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ तीन) रू0 का निकासी निर्गत स्वीकृत्यादेश के आधार पर होगी।

(10) इस राशि की निकासी पटना सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात होगी। इस राशि की निकासी कर पटना विश्वविद्यालय को इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने हेतु लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना को अन्य संबंधित राज्यादेशों तथा न्यायादेशों के अधीन प्राधिकृत किया जाता है।

(11) निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को सूचित किया जा रहा है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(प्रकाश चन्द्र सिन्हा)
संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-15/जी1-03/08 उ0शि0......17...... पटना, दिनांक 12 जनव

प्रतिलिपिः- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, राज्य विश्वविद्यालय/ आय व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी-09/ कोषागार प सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना/ संबंधित उप निदेशक, मानव संसाधन विकास बिहार, पटना/ लेखा पदाधिकारी एवं सम्पर्क पदाधिकारी (विश्वविद्यालय), मानव संसाधन विकास बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 5, 14 एवं 15 / सभी सहायक तथा लेखापाल, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.1

(प्रकाश चन्द्र सिन्हा)

संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग

11-1-10